न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–08 / 2020

राधीया उर्फ राधाराम वल्द श्री लछमण राम जाति बावरी साकिन चक 4 एलएम तहसील अनूपगढ़

———प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–12.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एल.एम. बी का मुरब्बा नं.–17 पत्थर नं.–269 / 475 के किला नं–1 / 2ता18 में 4.479 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि की जमाबंदी में नाम राधीया पुत्र लछमण है, जबकि बतौर सबूत संलग्न आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक, वोटर पहचान पत्र, जन आधार कार्ड में नाम राधाराम है प्रार्थी को फसल बेचान की राशि लेन–देन करने मे परेशानी खड़ी हो रही है जबकि राधिया वा राधाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति मेरे ही है अब प्रार्थी जमीन की जमाबंदी में राधीया उर्फ राधाराम करवाना चाहता है

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 4 एलएम के चक 2 एलएम–बी का प.नं. 269 / 475 का कि.नं. 1ता18 की कुल 4.479 है. कमाण्ड रकबा राधिया पुत्र लक्ष्मण बावरी सा. 68 जीबी खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड नं. 936249535175 में, ग्राम पंचायत 4 एलएम द्वारा जारी राशन कार्ड सं. 006586400490 की क्रम सं. 01 पर अंकित नाम, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र क्रमांक आर.जे. / 02 / 011 / 0441447 दिनांक 15.05.1995 द्वारा ई.आर.ओ. सूरतगढ़, भामाशाह कार्ड नं. वी.एन.जी.जे.जैड.पी.जे. व जनआधार कार्ड सं. 4701040020 के अनुसार प्रार्थी का नाम राधा राम है। संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 2 एल.एम. बी का मुरब्बा नं.–17 पत्थर नं.–269 / 475 के किला नं–1 / 2ता18 में 4.479 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राधिया के स्थान पर राधिया उर्फ राधा राम का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12 / 01 / 2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:30 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Scanned with CamScanner